झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021

विषय-सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2 झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2007) की धारा-5(1)(ख) का प्रतिस्थापन।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021

वित्तीय वर्ष, 2021-22 से 2025-26 हेतु राज्यों के लिये राजकोषीय संचय की भारत सरकार की नीति के अनुसरण में झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (वर्ष 2007 का अधिनियम-7) में संशोधन हेतु एक विधयेक।

भारत गणराज्य के **बहत्तरवें वर्ष** में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2007) की धारा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन करना।

(i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एव बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत तक, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत तक तथा वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 3 प्रतिशत तक सीमित रखना ।"

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत तक विद्युत प्रक्षेत्र में सुधार की शर्तों के साथ सीमित रखना।

जी०एस०टी० कम्पेनसेशन (क्षतिपूर्ति) के बदले ऋण आहरण के विकल्प 1 एवं पूँजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता स्कीम अन्तर्गत प्राप्त ऋण वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्त शर्तों के परे होगें।

वित्तीय संलेख

प्रस्तावित झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 तक राज्य सरकार के ऋण उगाही की अधिसीमा, सकल राज्य घरेलु उत्पाद के 4 प्रतिशत तक, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत तक तथा वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 3 प्रतिशत तक सीमित रखी जायेगी ।

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत तक विद्युत प्रक्षेत्र में सुधार की शर्तों के साथ सीमित रखना।

जी०एस०टी० कम्पेनसेशन (क्षतिपूर्ति) के बदले ऋण आहरण के विकल्प 1 एवं पूँजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता स्कीम अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त ऋण वित्तीय वर्ष 2021-22 में FRBM Act द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा का प्रतिशंतांश प्रभावित नही होगा।

(डॉ० रामेश्वर उराँव)
भार साधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

15वें वित्त आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा को लागू करने के फलस्वरूप झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 में संशोधन आवश्यक हो गया है।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य, कथित अधिनियम में अपेक्षित सुधार कर 15वें वित्त आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं तथा जी०एस०टी० कम्पेनसेशन (क्षतिपूर्ति) के बदले ऋण आहरण के विकल्प 1 एवं पूँजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता स्कीम अन्तर्गत प्राप्त ऋण वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में लागू करना है।

भार-साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 9(A)--200--6-9-2021 ।